

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:- रा०खा०आ० (शि०)-राँची / PDS-12/2022- ७४०
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:- फर्जी तरीके से अनुकंपा के आधार पर जनवितरण प्रणाली की दुकान प्राप्त कर लेने सम्बन्धी आवेदन पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है मो० सलीम, कोनका कलाल टोली, नियर हलिमा इन्क्लेब, चर्च रोड, राँची का आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा उनके पिता की मृत्यु के उपरान्त उनके भाई मो० फिरोज रासीद द्वारा फर्जी हस्ताक्षर एवं कागजात के सहारे अनुकंपा के आधार पर जनवितरण प्रणाली की दुकान अपने नाम करा लिये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त आवेदन की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

०८/०९/२१ सेवा में

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची

४९

विषय : फरजी वसियत के सहारे, सभी भाई बहन के बिना सहमति से पिता के नाम से रहे जन वितरण प्रणाली दुकान का लाईसेंस 926/84 को सांझील भाई द्वारा प्राप्त करने के संबंध में।

०८/०९/२१
०८/०९/२१
महाशय।

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मो० सलीम पिता स्व० हारून रसीद, पता- कोनका कलाल टोली (चर्च रोड), थाना- लोअर बजार, जिला- राँची, राज्य- झारखण्ड का निवासी हौं।

मेरे पिता स्व० हारून रसीद का जन वितरण प्रणाली की दुकान कांटा टोली स्थित मौलाना आजाद कलौनी वार्ड 12 में है, दुकान का लाईसेंस नंबर 926/84 है।

मेरे पिता स्व० हारून रसीद कि मृत्यु दिनांक 15 फरवरी 2022 में हो चुकी है।

मेरे पिता जबतक जिवित थे तबतक अच्छे से दुकान चला रहे थे।

हम सपरिवारों का भरण पोषण लालन पालन इसी दुकान के फायदे से कर रहे थे, तथा सभी बेटे एवं बेटियों को बराबर मानते दुलार प्यार करते थे, पिता सभी बेटे बेटियों के याहँ आना जाना भी करते थे।

हम सभी नौ भाई बहन हैं जिनमें बड़ी बहन (1) सफीना नाज (2) शबनम आरा (3) (बड़ा भाई) मो० सलीम (4) मो० जावेद, (5) मो० फिरोज रासीद (6) अफरोज रासीद (7) आसना नसरीन (8) शबा नाजनीन (9) फिरदौस रासीद शामिल हैं।

सांझील भाई मो० फिरोज रासीद ने मेरे पिता स्व० हारून रसीद के नाम से एक मनगढ़त कहानी बनाकर मेरे पिता का जाली हस्ताक्षर कर वसियत का कागज बनाया है जो पूरी तरह झुठ और जाली है, मेरे पिता ने कोई वसियत किसी भी मामले पर नहीं किया है, जिस वसियत को मेरे सांझील भाई मो० फिरोज रासीद बता रहा है वह वसियत दिनांक 20 अगस्त 2019 का है, यदि मेरे पिता वसियत करते तो वह जरूर जिंदा में बताते।

7/6/22
8/9/22

मेरे सांझील भाई फिरोज रासीद ने मेरे पिता स्व० हारून रसीद के नाम से रहे जन वितरण प्रणाली दुकान को अपने नाम से कराने की नियत से मेरे पिता का फरजी हस्ताक्षर कर जाली वसियत कागज बनाया है।

इसी जाली वसियत कागज के सहारे संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से सेटिंग कर हम सभी भाई बहनों के बिना सहमति की पिता के नाम से रहे जन वितरण प्रणाली को अपने नाम करा लिया है।

सांझील भाई फिरोज रासीद को विभाग ने अनुकंपा पर पिता के नाम से रहे जन वितरण प्रणाली लाईसेंस नंबर JH-33058 है को दिया है।

महोदय अनुकंपा पर दुकान का लाईसेंस देने के पहले हम दो भाईयों मो० सलीम और मो० जावेद से कोई राय अथवा सहमति विभाग ने नहीं लिया है।

नियम के विरुद्ध अनुकंपा पर लाईसेंस निर्गत किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि नियम विरुद्ध अनुकंपा पर निर्गत जन वितरण प्रणाली की लाईसेंस मामले पर कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी

Md Salim

(मो० सलीम)

कोनका कलाल टोली,

नियर हलिमा इन्क्लेब

चर्च रोड, राँची - 834001

झारखण्ड

मो० : 7004167104, 8340517934